

: 00000000 00 000000 0000000000000000 00 0000000 000000 00000000 00 00 000000  
000000 0000000000 0000 000000 00 :00000000 0000 00 000000000 0000000 0000 0000 00000000  
00 0000000000000000 :00000000 00 000000 00 0000000 0000000000000000 0000000 00 0000  
00000000 0000000 00 0000000 00 0000 00 :

00000 00000000 000000000000



000000 : अब मुख्य न्यायाकिमजसिद्रेट (सीजे म) कुसुमलता राठौर केघर में घुसकर लूटपाट, बच्चे केअपहरण की केशशि और जानलेवा हमले के मामले में केतवाली पुलसि ने लखनऊ जोन की इंस्पेक्टर अनुपम सहि और महिला कंस्टेबल लता शर्मा केखलिफकेर्ट में चार्जशीट दाखलि कर दी है। इधर, जनपद न्यायालय से जमानत अर्जी खारजि होने केबाद इंस्पेक्टर और कंस्टेबल ने हाईकेर्ट में जमानत अर्जी दाखलि कर दी है।

000000 00 00000000 000000000000 000000000000 00 00000 00000 0000 00000000 000000000 00  
0000000000000000 00 00000000 0000000 00000000 00 00000 000000 00 0000 0000000 00000000 00000 00 0000000  
000000 :-

[00000000 0000 00000 000000](#)

जज कॅलोनी में सीजे म कुसुमलता राठौर केघर में 11 अक्टूबर के सादा कपड़ों में इंस्पेक्टर अनुपम सहि और कंस्टेबल लता शर्मा नज्जि कर से पहुंची थीं। अनुपम केमुताबकिदोनों केपरवारि लखनऊ की आशयाना कॅलोनी में पड़ोसी है, सो उनक पुराना परचिय है। सीजे म क आरोप था क बातचीत के दौरान इंस्पेक्टर उनसे झगड़ा करने लगी और मारपीट करते हु गले से सोने की चेन लूट ली। उन्हें बचाने दौड़ी नौकरानी जया क गला दबाकर उसकी हत्या करने की केशशि की। इसकेबाद दोनों ने सीजे म समेत उनकेपरवारि के बंधकबना लयि। सीजे म केपति केदत्तकपुत्र कुशाग्र क अपहरण करने की केशशि भी की। केतवाली पुलसि ने सीजे म की ओर से रपिोर्ट दर्ज होने केबाद दोनों इंस्पेक्टर और कंस्टेबल के गरिफ्तार करकेजेल भेज दयि था। तब से दोनों जेल में ही है।

0000 00 000000 00 0000000 0000000 00 0000000 00 0000 0000000 00000000 00000 00 0000000 000000000 :-

[000000 00000 000000 00 000000](#)

Written by मेरी बटिया संवाददाता

Saturday, 09 December 2017 16:32

---

इंस्पेक्टर और कंस्टेबल ने जमानत के लिए जनपद न्यायालय में अर्जी दाखल की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारज कर दिया। कोतवाली एसएसआई अजय सिंह ने बताया कि अब दोनों ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी है। चार्जशीट में घर में घुसकर मारपीट करने, बंधक बनाने, जानलेवा हमले, लूट और बच्चे के अपहरण की धाराओं को यथावत रखा गया है।

00000000000000 00 000000 00 000000 00 0000 0000000 000000 0000 00 000000 00000000 :-

[0000000 00 00000000000000](#)

उधर क्षेत्र के सीओ का दावा है कि पुलिस की जांच में आरोप सही पाए गए हैं। दोनों महिला पुलिसकर्मियों के खिलाफ बयाना पूरी करके चार्जशीट कोर्ट में दाखल कर दी गई है।